पत्रांक –1/प्रा0आ0–36/2002/ 4155 /आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार

पटना–15, दिनांक– 18/9/13

विषयः– **प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को साहाय्य मानदर की मद संख्या 1 (ड़) के अन्तर्गत खाद्यान्न/नगद राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

विदित हो कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), लोक नायक भवन, नई दिल्ली के पत्रांक 32–7/2011 एन0डी0एम0–1 दिनांक–16.01.2012 के द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष तथा राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस कोष से वर्ष 2010–15 तक के लिए प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा संशोधित मानदर संसूचित किया गया है। उक्त पत्र के आलोक में नये संशोधित मानदर को दिनांक–01.04.2012 के प्रभाव से विभागीय पत्रांक 1293 दिनांक–17.04.2012 द्वारा राज्य में लागू किया गया है। पुनः भारत सरकार के पत्रांक 32–3/2013 एन0डी0एम0–1 दिनांक–21.06.2013 द्वारा क्रम सं0/मद सं0–1 (ड़), 5 (I) B (क) एवं (ख) तथा 5 (II), 6 (II) एवं (iii) तथा 9 (a) (i) के मानदर को संशोधित किया गया है।

चूँकि मानदर के क्रम/मद संख्या–1 (ड़) में प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों, जिनके पास खाद्यान्न नहीं है या प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो गये है तथा उन्हें तत्काल सहायता के लिए अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है, के लिए Gratuitous Relief का स्केल बढ़ा दिया गया है, अतएव दिनांक–30.07.2013 को राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय एवं राज्य सरकार के अनुमोदन के आलोक में मुफ्त साहाय्य के प्रावधान निम्नानुसार लागू होगें:–

" दिनांक–15.08.2013 अथवा उसके उपरांत घटित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को 30 दिनों के लिए विभागीय मानदर की क्रम/मद सं0–1 (ड़) के अन्तर्गत मुफ्त साहाय्य के रूप में 1 क्वींटल खाद्यान्न (50 कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 50 कि0ग्रा0 चावल) तथा ₹ 2000.00 (दो हजार रूपये) नगद अनुदान प्रति परिवार की दर से भुगतान किया जायगा।"

पूर्व में एतद् संबंधी निर्गत विभागीय पत्रांक 1339/आ0प्र0 दिनांक–20.04.2012 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

D:\youjana 2013\letter 8-8 rajeev sir.docx